

dk; kly; vf/k kkl h vfHk; Urk
 "kkjnk l gk; d [k.M&32
 vktex<A

vYi dkyhu fufonk l puk l 0&01@vf/k0vfHk0@2016&17

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मुहरबन्द निविदाएं सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में, कार्य के समक्ष उल्लिखित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 19.05.2016 को अपरान्ह 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 20.05.2016 को अपरान्ह 13.00 बजे निविदा समिति द्वारा उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 17.05.2016 से दिनांक 18.05.2016 तक किसी भी कार्य दिवस में सांय 16.00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32 आजमगढ़, अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर एवं अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-16, सुलतानपुर के कार्यालयों तथा पंजाव नेशनल बैंक सब्जी मण्डी शाखा आजमगढ़ (रु० 50/- बैंक चार्जज अतिरिक्त) में बिक्री हेतु निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध रहेगी। 1/1½ पंजीकरण प्रमाण पत्र 1/2½ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई०डी०टी०-1) 1/3½ हैसियत प्रमाण पत्र (आई०डी०टी०-2) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेगी तथा उनकी सत्यापित छायाप्रतियाँ भी ठेकेदार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा की जायेगी। अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकार पत्र जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षर प्रमाणित हो, भी जमा करने के पश्चात निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है।

धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, डाकधर बचत बैंक पासबुक, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर० अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के पक्ष में बन्धक होगी जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

क्र मां क	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रु० में)	धरोहर राशि (लाख रु० में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (वैट अतिरिक्त) (रु० में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	6	7	8
1/2	Tkui n vktex<+ea fLFkr fuEukfdr ugjka ds vKlrfjd l 0 kul qkkj , oa c&d ds l q<tdj.k@i qLFkk uk grq fofHkuu jhpka ea feVh dk dk; A					
1.	तहबरपुर राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 10.000 तक।	9.50	0.95	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
2	यूसुफपुर राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 5.800 तक।	8.00	0.80	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
3	सोनवरसा राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 7.000 तक।	8.40	0.84	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
4	बेलसिया राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 2.800 तक।	5.00	0.50	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
5	लखनपुर राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 11.400 तक।	11.00	1.10	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
6	कप्सा राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 13.000 तक।	9.50	0.95	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
7	फरिहा राजवाहा के कि०मी० 0.000 से कि०मी० 13.350 तक।	7.50	0.75	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
1/2	[k.M ea fLFkr fofHkuu ugjka ds gM jxqVj@ 0kl jxqVj ij LVhyxV yxkus dk dk; A					
8	आजमगढ़ एवं फरिहा राजवाहा के विभिन्न स्थलों पर।	9.80	0.98	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी

9	फूलपुर एवं तकिया राजवाहा के विभिन्न स्थलों पर।	9.00	0.90	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
10	सुघरपुर, खरसहरन कला, खरसहरन खुर्द, दीदारगंज, गदाईपुर, गारवपुर, नूरपुर, पुष्पनगर, कुरियावां, हैदराबाद, मुचुरा, आदममऊ, छग्नपुर, भोरमऊ, कनेरी एवं जगदीशपुर माइनर।	7.00	0.70	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
11	अहिरिपुर, फत्तनपुर, कोरौली, गंगापुर, खानपुर, महुआरी, जगजीवनपुर, रीवां, गोठियां जहाँगीरपुर, गंधुई, बढया, निजामाबाद एवं सैदुल्लाहपुर माइनर।	6.00	0.60	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
12	शिवपुर, प्रतापपुर, रसूलाबाद, मैनुद्दीनपुर, दनापुर, कोराघाटमपुर, बागबहार, खेमीपुर प्रथम, खेमीपुर द्वितीय, संघनपुर, महुआ, गोधना, कोहड़ा, करौजा, अधीपुर, बेलसीया, अम्बारी, शेखपुरपिपरी, रसूलपुर, हथनौरा, भेडुही, मुडियार, विनापारा, खुटहना एवं बड़हरिया माइनर।	12.00	1.20	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
13	अचलपुर, रावतमऊ, मुस्तफाबाद, नई, मनिकाडीह, नयनपुर, तमौली, एवं जमालपुर माइनर।	4.00	0.40	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
14	फूलपुर राजवाहा एवं प्रणाली	23.00	2.30	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
15	निजामाबाद राजवाहा एवं प्रणाली	19.50	1.95	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
16	इन्दारा राजवाहा	24.00	2.40	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
17	आजमगढ़ राजवाहा के किमी0 14.600 से 51.000 एवं प्रणाली	19.00	1.90	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
18	नागपुर राजवाहा एवं प्रणाली	21.00	2.10	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
19	कप्तानगंज राजवाहा एवं प्रणाली	15.00	1.50	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
20	दोहरीघाट लिंक नहर एवं प्रणाली	23.00	2.30	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
14	दोहरीघाट समानान्तर नहर	22.00	2.20	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
21	तकिया राजवाहा एवं प्रणाली	23.00	2.30	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
22	चण्डेश्वर राजवाहा एवं प्रणाली	11.05	1.15	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
23	आजमगढ़ राजवाहा के किमी0 51.000 से टेल तक एवं प्रणाली	18.00	1.800	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
24	सिरसा राजवाहा एवं प्रणाली	12.80	1.28	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
25	फरिहा राजवाहा एवं प्रणाली	12.80	1.28	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
26	घोसी राजवाहा एवं प्रणाली	15.00	1.50	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
27	खालिसपुर व बिलरियागंज राजवाहा एवं प्रणाली	15.00	1.50	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
28	तहबरपुर, लखनपुर राजवाहा एवं प्रणाली	16.00	1.60	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी

29	बेलसिया माइनर प्रणाली	8.00	0.80	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
30	सोनबरसा राजवाहा प्रणाली	9.80	0.98	01 माह	225.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी
31	इन्दारा राजवाहा प्रणाली की नहरें	18.00	1.80	01 माह	300.00+वैट	'सी एवं उच्च श्रेणी

i R; d fufonknkrk dk

- 1- रू0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्री कर/आयकर/स्टैम्प ड्यूटी रायल्टी एवं श्रम उपकर देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 08 प्रतिशत अवशेष सिक्वोरिटी भी जमा करना होगा।
- 2- शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट/08, टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार कार्यो की विभागीय दरों के सापेक्ष ठेकेदारों द्वारा डाली गयी दरें 10% तक कम होने की स्थिति में प्रति 1% की कमी पर 0.5% तथा 10% से अधिक दरों में कमी की स्थिति में प्रति 1% की कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेन्स धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।
- 3- यह निविदा सूचना उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट <http://e-tender.up.nic.in/> infotech तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट www.idup.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। किन्तु निविदा प्रपत्र का मूल्य, कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-1, IDT-2, IDT-3 व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राईग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-32, आजमगढ़ के कार्यालय से ड्राइग आदि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इस कार्यालय से उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।
- 4- ठेकेदार को अपनी फर्म एवं कार्य पर लगाये जाने वाले समस्त श्रमिकों का श्रम विभाग उत्तर प्रदेश में नियमानुसार पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 5- यदि एक से अधिक समस्त ठेकेदारों द्वारा किसी लाट के सभी आइटमों हेत समान दरें, डाली जाती है तो यह मानते हुए कि इस प्रकार डाली गयी निविदाएँ सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा आपस में मिलकर डाली गयी है एवं निविदाओं के निर्णित किये जाने में ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6- ठेकेदार से अनुरोध है कि निविदा डालने से पूर्व कार्यस्थल की स्थिति एवं कार्य की प्रकृति के बारे में भली-भाँति जानकारी कर लें।
- 7- कार्य की मात्रा स्थलीय आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
- 8- निविदत्त कार्य समयबद्ध कार्य है। अतः निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- 9- कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
- 10- राज्यवार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा। अनुबन्ध पट्टा गठित होने के बाद भी यदि तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान की संस्तुति की दशा में ऐसे अनुबन्ध/पट्टे को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश पदस्थापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- 11- कोई भी ठेकेदार केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।
- 12- शर्त युक्त एवं अपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 13- यदि कोई भी निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोली स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 14- यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो तो ऐसे ठेकेदारों के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो इसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 15- विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलने का स्थान में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना जमा होने के तीन दिवस पूर्व अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 16- चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र व स्व-घोषणा प्रमाण पत्र के फर्जी/गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
- 17- निविदत्त कार्य हेतु बजट आवंटन होने के उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32
आजमगढ़।

i 8 kd]

अधिशायसी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32,
आजमगढ

l ok e]

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय उ0प्र0
लखनऊ ।

पत्रांक:- /शा0स0ख0-32/टेण्डर/ दिनांक .2016

fo'k; %&vYi dkyhu fufonk l ipuk l a]; k&01@vf/k0vfHk0 kk0I 0[k0&32@2016&17 dk i xdk kuA

महोदय,

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या-01/अधि0अभि0/2016-17 छः प्रतियां में सी0डी0 सहित संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित है कि इस उ0प्र0/पूर्वी उ0प्र0/आजमगढ मण्डल में प्रचलित राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय दो समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में दिनांक 12.05.2016 के पूर्व दो दिवस के अन्तराल पर प्रकाशित कराने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त इसे उत्तर प्रदेश राज्य की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

l yXud%&1- fufonk l ipuk N% i frA
2- dEI; Wj l hOMhO , d vnnA

Hkonh;]

अधिशायसी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32
आजमगढ

i =kd%& @ kk0I 0[k0&32@Vs Mj @rfnukdA

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1-कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
- 2-मुख्य अभियन्ता (शा0स0) सिंचाई भवन, तेलीबाग, लखनऊ।
- 3-अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्दशम् मण्डल, सिंचाई कार्य, आजमगढ।
- 4-जिलाधिकारी, आजमगढ।
- 5-पुलिस अधीक्षक, आजमगढ।
- 6-जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ।
- 7-अधिशायसी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-16, सुल्तानपुर।
- 8-अधिशायसी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-36, जौनपुर।
- 9-एन0आई0सी0, आजमगढ।
- 10-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

l yXu%&Vs Mj ukfVI

अधिशायसी अभियन्ता
शारदा सहायक खण्ड-32
आजमगढ